5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ,ग्वालियर

निगरानी 860-III-15 केम्प भोपाल

अजय पटेल आ. गुलाबदास पटेल

निवासी ग्राम पांडाडो तह. बुदनी ....निगरानीकर्ता

जिला–सीहोर म.प्र. ....

(150)

कु. अर्चना तिवारी

अधिवक्ता द्वारा आज

दि॰ 3/3/15 को प्रस्तुत

विरुद्ध

संजीव महेश्वरी आ. प्रफुल्ल महेश्वरी

ई–3/23 अरेरा कालोनी भोपाल ....प्रतिनिगरानीकर्ता

3/3/15

अधीक्षक

कार्यालय कमिश्नर

भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान तहसीलदार बुदनी द्वारा रा.प्र.क. 27/A–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29/12/2014 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं अधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 860–तीन / 15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–6–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । निगरानी ग्राह्य की जाती है । इस निगरानी में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2014 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वे आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	